न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 5/2021 **दायर दिनांकः 20.09.2021**

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र बिरधीचन्द जाति महाजन निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. दीपक कुमार पुत्र रमेश कुमार जिंदल जाति महाजन निवासी छबडा तह0 छबडा जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 एल0आर0एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

निर्णय

दिनांक 30.12.2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू में खाता संख्या 281 का ख0नं0 410 का रकबा 0.74 है0 भूमि स्थित चली आ रही थी, जिसमें से 0.36 है0 भूमि अप्रार्थी क्रम 1 ने क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा 0.38 है0 भूमि प्रार्थी ने क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। जिनकी नकले जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में से अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि पश्चिम दिशा की आबादी में परिवर्तित करा ली है तथा पूर्वी दिशा की भूमि प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व में चली आ रही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के हिस्से अनुसार एवं कब्जे अनुसार नक्शे में तरमीम नहीं हो रहा है। प्रार्थी के कब्जे शुदा भूमि भी अप्रार्थी के कब्जे में दर्शा रखी है। जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य सीमा को लेकर विवाद हो रहा है। प्रार्थी ने कल दिनांक 07.09.2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब से कब्जे अनुसार नक्शे में तरमीम करने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। इसलिए माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम कवाई तह0 अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में पूर्व दिशा की 0.38 है0 भूमि उत्तर से दक्षिण प्रार्थी के कब्जे अनुसार एवं पश्चिम दिशा की 0.36 है0 भूमि उत्तर से दक्षिण अप्रार्थी क्रम 1 कब्जे अनुसार नक्शे में दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

प्रार्थी की ओर से एवं अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम एवं माल कवाई तहसीलदार अटरू में खाता संख्या 281 का ख0नं0 410 का रकबा 0. 74 है0 भूमि स्थित चली आ रही है, जिसमें से 0.38 है0 भूमि पूरब दिशा का उत्तर से दक्षिण प्रार्थी राजेन्द्र कुमार के हिस्से एवं कब्जे में रहेगी तथा पश्चिम दिशा की 0.36 है0 भूमि उत्तर से दक्षिण अप्रार्थी क्रम 1 दीपक कुमार के हिस्से एवं स्वामित्व व कब्जे में रहेगी।

अतः माननीय न्यायालय में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में पूर्व दिशा की 0.38 है0 भूमि उत्तर से दक्षिण प्रार्थी के कब्जे अनुसार एवं पश्चिम दिशा की 0.36 है0 भूमि उत्तर से दक्षिण अप्रार्थी क्रम 1 के कब्जे अनुसार नक्शे में दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में पूर्व दिशा की 0.38 है0 भूमि उत्तर से दक्षिण प्रार्थी के कब्जे अनुसार एवं पश्चिम दिशा की 0.36

है0 भूमि उत्तर से दक्षिण अप्रार्थी कम 1 कब्जे अनुसार नक्शे में दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू में खाता संख्या 281 का ख0नं0 410 का रकबा 0.74 है0 खातेदार नरबदाबाई बैवा बिरधीलालव पुष्पलता जोजे बृजमोहन कोम ब्राहमण सा देह कवाई के खाते दर्ज है। जिसमें नाम. सं. 1280 से 0.36 है0 भूमि दीपक कुमार पुत्र रमेश कुमार जिन्दल जाति महाजन के नाम दर्ज हुआ है। जमाबंदी संवत 2075–78 ग्राम कवाई के खाता संख्या 289 खातेदार दीपक कुमार पुत्र रमेश कुमार के दर्ज खाता है। जमाबंदी संवत 2075–78 ग्राम कवाई के खाता संख्या 347 खातेदार राजेन्द्र कुमार पुत्र बिरधीचन्द के खाते दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन एवं राजीनामा के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:: क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं राजीनामा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 111, 128, 131 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खाता संख्या 281 का ख0नं0 410 का रकबा 0.74 है0 भूमि में से ख0नं0 410 की रकबा 0.38 है0 भूमि **पूर्व दिशा** की उत्तर से दक्षिण प्रार्थी राजेन्द्र कुमार के हिस्से एवं कब्जे में रहेगी तथा वर्तमान ख0नं0 2437/410 रकबा 0.36 है0 भूमि **पश्चिम दिशा** की उत्तर से दक्षिण अप्रार्थी कम 1 दीपक कुमार के हिस्से एवं स्वामित्व में रहेगी।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है भूमि का टीम बनाकर पक्षकारान की उपस्थिति में उक्तानुसार नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां